न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
86 / 2022	2022 / 386	30.11.2022	30.11.2022

उनवान प्रकरण

1. अमृतलाल पुत्र लादूराम आयु 57 वर्ष
2. सीताराम पुत्र लादूराम आयु 64 वर्ष

   समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी खरबासन तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व. बनारसीलाल आयु 50 वर्ष
4. कैलाश पुत्र स्व. बनारसीलाल
5. किरण देवी पुत्री स्व. बनारसीलाल आयु 40 वर्ष

   समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी खरबासवाली तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

—अप्रार्थी

उपस्थितः—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested

30/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि पुराने कृषि भूमि खसरा नम्बर ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नवीन भूमि खसरा नम्बर 3910 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 3911 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 3912 रकबा 1.36 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 2.76 हैक्टर जिसके प्रार्थीगण अमृतलाल, सीताराम व प्रार्थीगण नम्बर 3 ता 5 के पिता बनारसीलाला पुत्र लादूराम खातेदार काश्तकार जमाबंदी अनुसार है। उक्त भूमियो के पुराने खसरा नम्बर 1082 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1083 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1084 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा वरवक्त प्रथम सैटलमेन्ट रहा हैं। उक्त वर्णित भूमियों में उत्तरी तरफ श्रीमाधोपुर से अजीतगढ जाने वाली मुख्य सडक उक्त भूमियों से सटाकर अवस्थित हैं। पूर्व में उक्त भूमि का रकबा ज्यादा दर्ज था परन्तु उक्त सड़क निकल जाने से मौके पर भूमि का रकबा कम हो गया। मौके पर जो भूमि शेष बची उस रकबे की खातेदारी द्वितीय सैटलमेन्ट द्वारा खातेदारो के नाम उनके हिस्से अनुसार दर्ज कर दी गयी लेकिन पूर्व नक्शे व नवीन नक्शे अनुसार वर्तमान रिकार्ड नही बनाया गया है। द्वितीय सैटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गफलत व लापरवाही करते हुये पूर्व के नक्शे से भिन्न नक्शा बनाया गया हैं तथा साथ ही नवीन खसरा नम्बर 3910 का कुल रकबा 0.69 हैक्टर तो दर्ज किया गया हैं परन्तु उक्त 0.69 हैक्टर मे से 0.43 हैक्टर बराबर 1 बीघा 0 बिस्वा भूमि जो मौके पर काश्त की भूमि हैं। जिसे गलत रूप से गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया गया हैं। मौके पर खसरा नम्बर 3910 में कोई रास्ता नही हैं तथा रास्ते जैसी कोई स्थिति भी नहीं है एंव ना ही मौके पर ही कोई रास्ता ही है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 3910 के कुल रकबा 0.69 हैक्टर में से गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested

20/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मुमकिन रास्ता का रकबा 0.26 हैक्टर को रिकार्ड से हजफ किया जाकर उक्त भूमि की किस्म बारानी ही दर्ज किये जाने योग्य हैं। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि मौके पर खसरा नम्बर 3910 रकबा 0.69 हैक्टर सम्पूर्ण काश्त के काम में ही शुरू से आ रहा है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर में कोई रास्ता अस्तित्व में नहीं है। उक्तानुसार अशुद्धि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों अर्थात सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा गफलतपूर्ण तरीके से दर्ज की गयी हैं। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 3910 कुल रकबा 0.69 हैक्टर में से 0.26 हैक्टर (गै.मु. रास्ता) को रिकार्ड से हजफ कर किस्म बारानी–1 दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के आदेश फरमाये जाने का निवेदन प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है।

इस पर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर मूल प्रार्थना पत्र को वास्ते जांच हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रेषित किया गया। इसके पत्रांक क्रमांक 2530/रीडर/22 दिनांक 09.11.22 के द्वारा लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 2893/भू.अ./2022 दिनांक 16.11.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :–

राजस्व ग्राम दिवराला के भूमि खसरा न. 3910 रकबा 0.69 है0, 3911 रकबा 0.71 हैक्टर व 3912 रकबा 1.36 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 2.76 हैक्टर की खातेदारी अमृतलाल पुत्र लादूराम हिस्सा 1/6 जाति माली वगै0 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 3910 के पुराने खसरा नम्बर 1082 रकबा 2 बिघा ... किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1083 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा किस्म ... 1084 रकबा 8 बिघा 8 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल दर्ज है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट के उक्त खसरा नम्बर 3910 में किसी प्रकार का रास्ता मौके पर प्रचलन में नहीं है एंव समस्त भूमि खेती के काम में आ रही है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर पर सरसों की फसल काश्त की गई है। उक्त भूमि हमेशा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

से ही काश्त के प्रयोजनार्थ ही काम में आ रही है। खसरा नम्बर 3910 रकबा 0.69 हैक्टर में से रकबा 0.26 हैक्टर किस्म गै0मु0 रास्ता की किस्म बदल कर किस्म बारानी–1 करने पर किसी भी प्रकार का सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं होता है। मौके पर उक्त खसरा नम्बरान् से होकर कोई भी रास्ता प्रचलन में नहीं है। इस खसरा नम्बर में से दर्ज रकबा 0.26 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता के बजाय बारानी अव्वल दर्ज की जाकर शुद्ध किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 तीन जमाबन्दियॉं, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, राजस्व नक्शा ट्रेस पुराना व नया नक्शा, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा खतौनी, रिपोर्ट पटवारी हल्का दिवराला व अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि नवीन खसरा नम्बर 3910 रकबा 0.69 हैक्टर जो पुराने खसरा नम्बर 1082 रकबा 2 बिघा 5 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1083 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा किस्म गै.मु.रास्ता व खसरा नम्बर 1084 रकबा 8 बिघा 8 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल से बनना राजस्व रिकार्ड से [illegible] के रकबा 0.69 हैक्टर में से 0.26 हैक्टर की किस्म गै0मु0 रास्ता [illegible] होता है जबकि पटवारी हल्का दिवराला व तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 3910 रकबा 0.69 हैक्टर में से रकबा 0.26 हैक्टर पर किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर वर्तमान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है होना तथा ना ही किसी प्रकार का रास्ता प्रचलन में होकर आवागमन होना ही प्रकट होता है। खसरा नम्बर 3910 के सामने से अजीतगढ़–श्रीमाधोपुर मुख्य सड़क मार्ग (एस0एच0) प्रचलन में है तथा खसरा नम्बर 3910 की पश्चिमी सीमा से उत्तर दक्षिण कटानी रास्ता प्रचलन में है। अतः ऐसी स्थिति में रिपोर्ट पटवारी हल्का दिवराला व तहसीलदार श्रीमाधोपुर की प्राप्त अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्ध करना न्यायहित में आवश्यक है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 3910 कुल रकबा 0.69 हैक्टर में से दर्ज रकबा 0.26 हैक्टर (गै.मु. रास्ता) में किस्म गै0 मु0 रास्ता के स्थान पर किस्म बारानी–1 दर्ज किये जाने तथा नियमानुसार लगान कायम करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30/11/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/11/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)